धारा 25: अनुदेश या निदेश की शक्ति

आयुक्त, यदि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और तदुपरि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे।